

—प्रेस नोट—  
जनपद मीरजापुर।

दिनांक: 15.11.2021

जंगल के रास्ते पैदल वध हेतु ले जाये जा रहे कुल 17 राशि गोवंश थाना मडिहान पुलिस द्वारा बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जंगल के रास्ते पैदल वध हेतु ले जाये जा रहे कुल 17 राशि गोवंश थाना मडिहान पुलिस द्वारा बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक: 15.11.2021 को उ0नि0 शिवप्रकाश यादव चौकी प्रभारी धौरहा थाना मडिहान मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवपुरा पहाड़ी चेखुरिया के रास्ते कुछ लोग गोवंशों को वध हेतु मारते पीटते हुए पैदल ले जा रहे है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नहर पुलिया चेखुरिया मोड़ के पास से दो व्यक्तियों 1-रामसूरत यादव पुत्र बिल्लर यादव निवासी ददरा मुचलके थाना मडिहान मीरजापुर, 2-जय मूरत यादव पुत्र बिल्लर निवासी ददरा मुचलके थाना मडिहान मीरजापुर को 17 राशि गोवंशों के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि हम लोग पशुओं को जंगल के रास्ते वध हेतु ले जा रहे थे। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मडिहान पर गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —**

- 1-रामसूरत यादव पुत्र बिल्लर यादव निवासी ददरा मुचलके थाना मडिहान मीरजापुर, उम्र करीब-40 वर्ष।
- 2-जय मूरत यादव पुत्र बिल्लर निवासी ददरा मुचलके थाना मडिहान मीरजापुर, उम्र करीब-35 वर्ष।

**विवरण बरामदगी—**

कुल 17 राशि गोवंश(05 राशि बछड़ा, 04 राशि बछिया, 03 राशि गाय व 05 राशि बैल)।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—**

- 1-उ0नि0 शिव प्रकाश यादव चौकी प्रभारी धौरहा थाना मडिहान मीरजापुर।
- 2-हे0का0 अखिलेश यादव, हे0का0 मूलचन्द्र, का0 अक्षय कुमार।

